न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 174 / 2021

अनवान : –

1. गोविन्दराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. सुशील कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
3. राममूर्ति पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. बाबुलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. एसबीआई शाखा भूकरका जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआईबैंक शाखा भूकरका तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 29/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 33 / 30 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 176 / 163 की कुल 0.75900 हैक्ट भूमि में सायलान प्रत्येक के 1 / 24 व प्रतिवादी स0 1 के नाम 3 / 8 हिस्सा भूमि दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में दयालाराम के नाम दर्ज थी एवं दयालाराम के देहान्त के बाद दयालाराम के जाये वारिस उसके दो चन्द्रपाल, इन्द्राज व तीन लडकिया मोहनी, तीजा, किताब एवं धर्मपत्नी मोहरादेवी हुए जो की प्रत्येक 1 / 6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार हुए। इन्द्राज पुत्र दयालाराम फौत हो चुका है एवं उसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 3 व उसकी पत्नी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक 1 / 24 हिस्सा के खातेदार हुए लेकिन मोहरादेवी पत्नी दयालारामव मोहनी, तीजा, किताब पुत्रीयान दयालाराम ने अपना समस्त हक हिस्सा की दिनांक 14.09.2020 को गैरसायल स0 1 के पक्ष में दस्बरदारी कर दी यद्यपि उक्त दस्बरदारी में चन्द्रपाल पुत्र दयालाराम व बाबू[illegible] दर्ज है मगर Release deed transfer deed नही है तथा R[illegible] Transfer नही होते है इसलिए दस्तबरदारी दिनांक 14.09.2020 के [illegible] बाबुलाल पुत्र इ[illegible] गैरसायल स0 1 अकेले को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त [illegible] होते है इसलिए सायलान भी गैरसायल स0 1 के बराबर अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल स0 1 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

अनुचित तरीके से ज्यादा भूमि दर्ज होने से गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन बैय करना चाहता है इसलिए गैरसायल स0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 33/30 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 3/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 176/163 की कुल 0.75900 हैक्ट भूमि में से 3/8 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की मोहरा, मोहनी, तीजा व किताबों ने अपना हक हिस्सा अपनी स्वेच्छा से गैरसायल स0 1 व चन्द्रपाल के पक्ष में किया है एवं अपना हिस्सा किसी के पक्ष में कोई भी काश्तकार करने हेतु स्वतंत्र है। सायल के द्वारा चन्द्रपाल को पक्षकार ही नही बनाया गया है एवं सायल के द्वारा दस्तबरदारी को निरस्त करवाने हेतु यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि दस्तावेज को निरस्त सिविल न्यायालय में ही करवाया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि मोहरा, मोहनी, तीजा व किताब द्वारा उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को दस्बरदारी गैरसायल स0 1 व चन्द्रपाल के पक्ष में की गई है जबकि गैरसायल स0 1 जो सायल का भाई है एवं सयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार दर्ज है इसलिए गैरसायल स0 1 के पक्ष में की गई दस्बरदारी सायलान के पक्ष में भी बहिब होनी थी लेकिन गैरसायल स0 1 ने अपने अकेले के नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवा ली। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है तस्तबरदारी से कोई हक हासिल नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार ब० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 15.09.2000 द्वारा मोहरा, मोहनी, तीजा व किताब का हक व हिस्सा समाप्त हो गया तथा अब वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी दिनांक 15.09.2000 से अप्रार्थी स0 1 को कोई हक हकूक हासिल नही हुआ है बल्कि वादग्रस्त भूमि से मोहरा, मोहनी, तीजा व किताब का हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है लेकिन गैरसायल संख्या 1 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकूक हासिल नहीं हुए है अप्रार्थी का कथन है कि दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है एवं कोई भी खातेदार अपना हक व हिस्सा किसी के भी पक्ष में तर्क करने हेतु स्वतंत्र है पत्रावली में प्रस्ततु दस्तावेजों के मुताबिक मोहरा, मोहनी, तीजा व किताब के द्वारा द्वारा प्रार्थीगण को छोड़कर गैरसायल स0 1 के पक्ष में किया गया है गैरसायल संख्या 1 के पक्ष मे मोहरा, मोहनी, तीजा व किताब द्वारा की गई दस्तबरदारी सही या गलत का निर्धारण मूल वा दमे तय होना है जो की न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत विचाराधीन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण 1 विवादित अराजी का काश्तकार है अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि मोहरा, मोहनी, तीजा व किताब से जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई है प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:27 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 33/30 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 176/163 की कुल 0.75900 हैक्ट भूमि मे से 3/8 हिस्सा भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:33:27 IST
Reason: SelfAttested